न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0ः–260/2021

तारीख रजु 28.06.2021

जीसीएमएस आई0डी0ः–2021/239

1. बलजीत पुत्र श्री साहब सिंह
2. लक्ष्मीदेवी पुत्री साहब सिंह
3. लक्ष्मीदेवी पत्नी बलजीत सिंह
4. मदनमोहन पुत्र श्री घनश्याम्

} जाति जाट निवासी खेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

––सायलान–04

बनाम

1. राधा देवी पत्नि सुरेन्द्र कुमार
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र पूरन चन्द

} जाति गौड ब्राहम्ण निवासी खेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

3. सब–रजिस्ट्रार, हिण्डौन सिटी, जिला–करौली।
4. तहसीलदारजी, हिण्डौन सिटी, जिला–करौली।

––गैरसायलान–04

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–1. श्री पी एल गोयल वकील सायलान

2. श्री राधेश्याम शर्मा वकील गैरसायलान

निर्णय दिनांक 27-3-25

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर–699 रकबा 0.88 हैक्टेयर स्थित ग्राम खेडा, तहसील–हिण्डौन है, जिसमें सायल नम्बर–1 बलजीत 3/44 हिस्से का, सायला नम्बर–2 लक्ष्मीदेवी 3/44 हिस्से की, सायला नम्बर–3 लक्ष्मी देवी 19/66 हिस्से की, सायल नम्बर–4 मदन मोहन 19/66 हिस्से तथा गैरसायला नबर–1 राधादेवी 19/66 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीया नम्बर–1 की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:00:43 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर–1 प्रार्थना–पत्र में सायलान एवम् गैरसायला नम्बर–1 अपने–अपने हिस्से पर काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा उसी अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काश्त कर उसे दरोह करते

चले आ रहे है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण सायलान एवम् गैरसायलान नम्बर–1 व 2 के मध्य आये दिन डौल मेड पर विवाद बना रहता है।

आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर–2 प्रार्थना–पत्र रोड के सहारे स्थित होने के कारण गैरसायलान नम्बर–1 व 2 की नियत हमेशा रोड के सहारे की भूमि को हडपने की रहती है, जिसके लिए वे आये दिन सायलान को हैरान व परेशान करते रहते है। गैरसायला नम्बर–1 एवं गैरसायल नम्बर–2 पति–पत्नि है।

घटना दिनांक–23.06.2021 को समय करीब सुबह 11:00 बजे की बात है कि सायलान अपने कब्जे व हिस्से की भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर–2 प्रार्थना–पत्र की आगामी फसल के लिए सार संभाल (देखभाल) करने आये तो देखा कि गैरसायलान नम्बर–1 व 2 रोड के सहारे वाली सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा कर उक्त भूमि में गढढे खोदकर उसे नाकाबिल काश्त बनाकर तथा कृषि से अकृषि में परिवर्तन कर उसमें प्लोट काटकर दीगर लोगों को विक्रय करने की फिराक में है। सायलान ने गैरसायलान नम्बर–1 व 2 से कहा कि आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर–2 प्रार्थना–पत्र का हिस्से अनुसार उक्त भूमि को हम और तुम तहसील कार्यालय हिण्डौन चल कर बंटवारा करा लेते है, मौके पर तो बंटवारा हो रहा है, तब तुम अपने हिस्से की भूमि में प्लोट काटकर उसे किसी को बेच देना, लेकिन गैरसायलान नम्बर–1 4–2 के मन में बदयान्ति होने के कारण बंटवारा करने के लिए नहीं रहती है तथा बिना बंटवारा किए ही उक्त भूमि को विक्रय करने की फिराक में है। यदि गैरसायलान नम्बर–1 व 2 ने बिना बंटवारा किये ही रोड के सहारे वाली जमीन में प्लोट काटकर विक्रय कर देगें तो वादीगण को अपने आने–जाने, हल, बैल, ट्रेक्टर, गाडी लाने ले जाने में बाधा उत्पन्न हो जावेगी तथा सायलान का रास्ता ही बन्द हो जावेगा। सायलान ने गैरसायलान नम्बर–1 व 2 को गांव के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा काफी समझवाया, कि तुम ऐसा मत करों लेकिन गैरसायलान नम्बर–1 व 2 मानने को तैयार नहीं है। यदि गैरसायलान नम्बर–1 व 2 अपनी उक्त बेजा कार्यवाही में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। इसलिए प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा दायर करना आवश्यक हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:00:43 IST
Reason: Self Attested

अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने वाद जरिये अस्थायी

निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द फरमाए जावें कि आराजीयात खसरा नम्बर–699 रकबा 0.88 हैक्टेयर वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन मुतजिक्रा मद नम्बर–2 प्रार्थना–पत्र में गैरसायलान बिना विधिक बंटवारा हुए किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं करें, न ही किसी अन्य से करावें। उक्त भूमि बिना बंटवारा हुए प्लोट नहीं कांटे। सायलान को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा गैरसायला नम्बर–1 बिना बंटवारा हुर्य आराजीय मुतजिक्रा मद नम्बर–2 प्रार्थना–पत्र का रहन वय नहीं करें तथा सायलान के हिस्से में उदमबाजी नहीं करें तथा उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं करें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे सायलान के हक हकूको पर विपरित प्रभाव पड़ें। मौके की स्थिती यथावत बनाएँ रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 व 2 की ओर से को श्री राधेश्याम शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, गैरसायल न0 3 व 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आदेशिका दिनांक 26.07.2021 से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल लायी गयी एवं गैरसायालान न0 1 व 2 ने जबाब पेश किया जो निम्नानुसार है:–

1. प्रार्थना पत्र का मद नं. 1 में सायलान द्वारा गैरसायलान के विरुद्ध माननीय न्यायालय में मनगढन्त व बनावटी दावा पेश किया जाना स्वीकार है परन्तु सायलान को कोई भी सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है।
2. प्रार्थना पत्र का मद नं. 2 में मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड सही दर्ज किया है।
3. प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में आये दिन डोल–मेड पर विवाद बना रहने वाली बात अस्वीकार है। शेष तथ्य जिस प्रकार तहरीर है. स्वीकार हैं। शेष विवरण उज्जात मजीद में दर्ज है।
4. प्रार्थना पत्र का मद नं. 4 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है। गैरसायलान सं. 1 व 2 की नीयत रोड के सहारे की भूमि को हडपने की नहीं रही है और ना ही गैरसायलान सं. 1 व 2 आये दिन सायलान को हैरान व परेशान कर रहे हैं। गैरसायलान सं. 1 द्वारा दिनांक 01.07.2009 को उक्त विवादित आराजीयात जरिये [illegible] विक्रय पत्र कय की थी तभी से ही गैरसायलान सं. 1 व 2 का उक्त भूमि पर कब्जा व उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:00:43 IST
Reason: Self Attested

उपभोग चला आ रहा है बल्कि सायलान की नीयत में बदयानित होने के कारण मैरसायलान से 182 के कब्जे की भूमि को जबरन हडपना चाहते हैं।

5. प्रार्थना पत्र का मद नं. जिस प्रकार तहरीर है, गलत है। अस्वीकार है। दिनांक 23.06.2021 को सुबह समय करीब 11 बजे सायलान अपने कब्जे व हिस्से की भूमि मुतजिका मद नं. 2 प्रार्थना पत्र, को आगामी फसल के लिये कोई साल संभाल करने नहीं आये और ना ही गैरसायलान की सायलान से कोई बातचीत हुई। सायलान ने उक्त मद में सारे तथ्य बिल्कुल मनगढन्त व बनावटी दर्ज किये हैं तथा सायलान व गैरसायलान के मध्य उक्त मद में दर्ज कोई भी बातें नहीं हुई । सायलान व गैरसायलान के मध्य कोई बातचीत ही नहीं हुई तो गैरसायलान सं. 1 व 2 को गाँव के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा समझाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सायलान ने उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जो मय हर्जा–खर्चा खारिज होने योग्य है।

6. प्रार्थना पत्र का मद नं. 6 जिस प्रकार तहरीर है. गलत है. अस्वीकार है। अपूर्तनीय क्षति व सुविधा का संतुलन का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होकर गैरसायालन के पक्ष में बखूबी साबित हैं तथा सायलान का कोई प्रथम दृष्ट्या केस भी साबित नही है, इसलिए उक्त प्रार्थन पत्र मय खर्चा खारिज होने योग्य है।

आराजी साबिक खसरा नं. 644 रकबा 3 बीघा 3 विस्वा का मनोज कुमार पुत्र जमनालाल, जाति ब्राहमण, निवासी खेडा खातेदार, काश्तकार था जिसने अपने 1/3 हिस्से की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.05.1988 को बाबूलाल, मोहनलाल, बसन्ता विसरान इन्दरलाल, जाति आदि गौड ब्राहमण, निवासी खेडा जमालपुर को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र विकय की थी तथा साथ में ही जमनालाल ने केतागण के हक में एक इकरारनामा 5 रुपये स्टाम्प पर दिनांक 10.05.1988 को ही तहरीर व तकमील करके दिया था कि आराजी खसरा नं. 644 रकचा 3 बीघा 3 विश्वा में निहित 1/3 हिस्सा मुबलिग 12,000 रुपये में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय किया है। उक्त भूमि में विक्रेता का 1/3 हिस्सा [illegible] खसरा नम्बर के पूर्व की तरफ आम रास्ते की तरफ का है जिसके पूर्व में [illegible] पश्चिम में शेष भूमि अल्लादीन, उत्तर में समयसिंह जाट की भूमि [illegible] के नाम से है तथा दक्षिण में माँगी कोली का खेत है तथा विक्रय पत्र में सीमाएँ दर्ज नहीं की गई. इसलिए यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:00:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिज्ञा पत्र अलग से लिखा गया था तथा केतागण बाबूलाल, मोहनलाल, बसन्ता को उक्त प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार दिनांक 10.05.1988 को कब्जा संभला दिया गया था। आराजी खसरा नं. 644 रकबा 3 बीघा 3 विस्वा का हाल भूप्रबंन्धन विभाग ने खसरा नं. 699 रकबा 88 ऐयर कायम किया है। केतागण बाबूलाल, मोहनलाल, बसन्ता के वारिसान ने आराजी हाल खसरा नं. 699 का 1/3 हिस्सा जो मनोज कुमार पुत्र जमनालाल से कय किया था जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 01.07.2009 को गैरसायलान सं. 1 के हक में विक्रय कर दिया था तथा खसरा नं. 699 जो साबिक खसरा नं. 644 से बना है, जिसका कब्जा मुताबिक प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 10.05.1988 जमनालाल बहक बाबूलाल संभलाया था, उसी भूमि पर गैरसायलान सं. 1 का कब्जा संभला दिया था तथा उक्त भूमि पर सन् 1988 से जमनालाल की खातेदारी के समय से ही उक्त भूमि पर बाबूलाल, मोहनलाल, बसन्ता का कब्जा चला आ रहा था तथा दिनांक 01.07.2009 से गैरसायलान सं. 1 व 2 का कब्जा चला आ रहा है लेकिन गैरसायलान का उक्त भूमि पर रोड के सहारे कब्जा होने से सायलान की नीयत में बदयान्ति आ गई है तथा सायलान जबरन गैरसायलान को उनके कब्जे की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, जो मय खर्चा खारिज होने योग्य है। सायलान को गैरसायलान सं. 1 की उक्त कयडादा कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि का बँटवारा कराने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है तथा सायलान ने उक्त प्रार्थना पत्र गैरसायलान के खिलाफ, गैरसायलान को हैरान व परेशान करने की गरज से पेश किया है, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज होने योग्य है। सायलान क्लीनहेण्ड से माननीय न्यायालय के समक्ष नही आये हैं, इसलिए सायलान, गैरसायलान से कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायलान विरुद्ध गैरसायलान मय खर्चा खारिज करने के आदेश फरमावें।

जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 322 वाके ग्राम खेजड़ा तहसील हिण्डौन पेश किये है। वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 10.05.1988, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 01.07.2009 एवं प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 10.05.1988 पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:00:43 IST
Reason: Self Attested

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और कहा गया कि दौराने दावा गैरसायलान को दौराने वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द फरमाए जावें कि आराजीयात खसरा नम्बर–699 रकबा 0.88 हैक्टेयर वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन मुतजिक्रा मद नम्बर–2 प्रार्थना–पत्र में गैरसायलान बिना विधिक बंटवारा हुए किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं करनें न ही किसी अन्य से करावें। उक्त भूमि बिना बंटवारा हुए प्लोट नहीं कांटने। सायलान को शांतिपूर्वक काश्त करने तथा गैरसायला नम्बर–1 बिना बंटवारा हुये आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर–2 प्रार्थना–पत्र का रहन वय नहीं करनें तथा सायलान के हिस्से में उदमबाजी नहीं करें तथा उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं करनें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करनें जिससे सायलान के हक हकूको पर विपरित प्रभाव पडे।मौके की स्थिती यथावत बनाएँ रखने का निवेदन किया। गैरसायलान वकील ने दौराने बहस में जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कहा गया कि खसरा नं. 699 का 1/3 हिस्सा जो मनोज कुमार पुत्र जमनालाल से कय किया था जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 01.07.2009 को गैरसायलान सं. 1 के हक में विक्रय कर दिया था तथा खसरा नं. 699 जो साबिक खसरा नं. 644 से बना है, जिसका कब्जा मुताबिक प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 10.05.1988 जमनालाल बहक बाबूलाल संभलाया था, उसी भूमि पर गैरसायलान सं. 1 का कब्जा संभला दिया था तथा उक्त भूमि पर सन् 1988 से जमनालाल की खातेदारी के समय से ही उक्त भूमि पर बाबूलाल, मोहनलाल, बसन्ता का कब्जा चला आ रहा था तथा दिनांक 01.07.2009 से गैरसायलान सं. 1 व 2 का कब्जा चला आ रहा है लेकिन गैरसायलान का उक्त भूमि पर रोड के सहारे कब्जा होने से सायलान की नीयत में बदयान्ति आ गई है तथा सायलान जबरन गैरसायलान को उनके कब्जे की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, जो मय खर्चा खारिज होने योग्य है। सायलान को गैरसायलान सं. 1 की उक्त कयडादा कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि का बँटवारा कराने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है तथा सायलान ने उक्त प्रार्थना पत्र गैरसायलान के खिलाफ, गैरसायलान को हैरान व परेशान करने की गरज से पेश किया है, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज होने योग्य है। सायलान क्लीनहेण्ड से माननीय न्यायालय के समक्ष नही आये हैं, इसलिए सायलान,

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:00:43 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायलान से कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जबाव पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 322 वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन में सायलान व गैरसायलान न0 1 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जावे। ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में साबित होता है और सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में नजर आता है। बल्कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से फैंसला दावा पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान जो कि विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं प्रकरण में मुल दावा तकास्मा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। इस प्रकार पृथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 28.06.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 699 वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन में रिकॉर्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 27/3/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:00:43 IST
Reason: SelfAttested